न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी :– करतारसिंह पूनियॉ आर.ए.एस.

अपील संख्या 2011/00222 (97/2011) 225 आरटीएक्ट

सुभाष चन्द पुत्र बनवारी लाल जाति अग्रवाल निवासी संगरिया तहसील संगरिया गढ।

– अपीलान्ट

बनाम

1. बनवारी लाल पुत्र नन्दराम (नाम कलमजन दिनांक 19.09.2022)
2. राजश कुमार पुत्र नन्दराम
3. सुनील कुमार पुत्र नन्दराम
4. पारी देवी पत्नी स्व0 नन्दराम
5. पूर्णा उर्फ दुर्गा देवी पुत्री नन्दराम
6. मैना देवी पुत्री नन्दराम
7. औमप्रकाश पुत्र रामप्रताप
8. मनोज कुमार पुत्र रामप्रताप
9. हरीराम पुत्र स्व0 नारायण राम

अकवाम जाट निवासी रतनपुरा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ

– रेस्पोडैन्ट

अपील अन्तर्गत धारा 225 आरटीएक्ट

विरूद्व निर्णय सहायक कलक्टर संगरिया

दिनांक 14.06.2011 प्रकरण संख्या 67/2009

बअनवानी सुभाष बनाम बनवारीलाल

श्री दिनेश कुमार शर्मा अधिवक्ता अपीलाण्ट

श्री विजय कौशिक अधिवक्ता रेस्पो0 सं0 2 ता 9

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

निर्णय

दिनांक – 11.X.2022

1. इस प्रकरण में तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अपीलाण्ट ने अधीनस्थ न्यायलाय के समक्ष एक वाद के साथ राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 212 के अन्तर्गत प्रार्थना–पत्र पेश किया। जिसमें कथन किया कि चक 3 आरटीपी द्वितीय के खाता सं0 81/76 में अपीलाण्ट के नाम 2 बीघा भूमि है रेस्पोडेण्टान व अन्य काश्तकारान के साथ संयुक्त खाता की रिकार्ड में अंकित है। प्रार्थी/अपीलांट ने यह भूमि खातेदार बनवारीलाल से दिनांक 27.12.2001 को खरीद की थी और कब्जा भी संभला दिया था। अपीलाण्ट कब्जा धारक रिकार्डेड टिनेंट है जिसे अप्रार्थीयान/रेस्पोडेण्टन बेदखल करने को आमादा है यदि वे अपने मकसद में कामयाब हो जाते हैं तो अपीलाण्ट को अपूर्णीय क्षति होगी। अधीनस्थ न्यायलाय ने दिनांक 16.06.2008 को एकपक्षीय स्थगन आदेश दिया रेस्पोडेण्ट संख्या 2 ता 9 उपस्थित आये एक व्यक्ति की तलबी शेष थी मगर अधीनस्थ न्यायलाय ने दिनांक 14.06.2011 को अप्रार्थगण की तलबी नहीं करवाने के कारण प्रार्थना–पत्र खारिज कर दिया जिससे व्यथित होकर अपीलाण्ट ने यह अपील पेश की है।

2. उभयपक्ष की बहस सुनी गई ।

3. विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेण्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय में रेस्पोडेण्टन/अप्रार्थी संख्या 2 ता 9 द्वारा कोई जवाब दावा व जवाब प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया इसलिए मातहत अदालत को रेस्पोडेण्ट संख्या 1 की सीमा तक तलबी बंद कर सकती थी। कुल प्रार्थना–पत्र खारिज करने का कोई अधिकार नहीं था। रेस्पोडेण्टान व अप्रार्थीगण एक ही परिवार के हैं और संयुक्त खातेदार है जिनको बार बार नोटिस देने पर भी जानबूझकर अप्रार्थी यानि रेस्पो0 सं0 1 हाजिर नहीं हो रहा था। इस तथ्य को अदालत मातहत ने नहीं देखा। यह कि उक्त आदेश अन्तिम है जिसके जरिये प्रार्थना–पत्र 212 आरटीएक्ट खारिज किया है

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

अपीलाण्ट के पास अपील पेश करने के अलावा अन्य कोई चारा नहीं है। उस रोज अपीलाण्ट स्वयं हाजिर था लेकिन अपीलाण्ट के अधिवक्ता हाजिर नहीं थे। अपीलाण्ट के अधिवक्ता पत्नी की बीमारी हेतु ईलाज के लिए संगरिया से बाहर गये हुए थे अपीलाण्ट ने मातहत अदालत को बताया था कि अपीलाण्ट के अधिवक्ता बाहर गये हुए हैं इसलिए प्रार्थी को समय दियाजावे। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय ने कोई गौर नहीं किया है। विचारण न्यायालय का आदेश विधि सम्मत नहीं है अतः अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जावे एवं अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्त किया जावे।

4. विद्वान अधिवक्ता रेस्पो0 सं0 2 ता 9 ने अपनी बहस में कथन कियाकि अपीलाण्ट ने बार बार अवसर देने के उपरान्त भी अधीनस्थ न्यायालय में अप्रार्थीगण की तलबी नही करवाई गई। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थना–पत्र धारा 212 आरटीएक्ट खारिज किया गया है वह विधि सम्मत है। अपीलाण्ट ने मिथ्या तथ्यों के आधार पर यह अपील पेश की है। जो खारिज की जावे।

5. उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया।

6. अधीनस्थ न्यायालय में अपीलाण्ट ने धारा 212 आरटीएक्ट का प्रार्थना–पत्र पेश किया जिसमें अप्रार्थी संख्या 2 व 9 उपस्थित आ चुके थे शेष अप्रार्थीगण के उपस्थित नहीं आने के कारण प्रार्थना–पत्र तलबी के अभाव में खारिज कर दिया। अपील में अपीलाण्ट ने अप्रार्थी संख्या 1 के विरूद्ध कोई अनुतोष नहीं हेाने के कारण उसका नाम कलमजन किया गया है। शेष रेस्पोडेण्ट के अधिवक्ता अपील में उपस्थित आ चुके हैं। प्रकरण में प्रश्नगत भूमि के हक अधिकारों का निर्धारण मूल वाद में तय होना है इस बीच यदि प्रश्नगत भूमि से अपीलाण्ट को बेदखल कर दिया जाता है तो उभयपक्ष के मध्य मजीद मुकदमेबाजी बढेगी। चूंकि प्रकरण में प्रश्नगत भूमि के हक

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

अधिकारों का महत्वपूर्ण बिन्दू निहित है जिसका निर्धारण मूल वाद में तय होना है। ऐसी स्थिति में अपील अपीलाण्ट स्वीकार किये जाने योग्य है।

7. उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेष्ण के आधार पर अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जाती है एवं सहायक कलक्टर संगरिया का अपीलाधीन निर्णय दिनांक 14.06.2011 निरस्त किया जाता है एवं आदेश दिया जाता है कि रेस्पोडेण्ट मूल वाद के निर्णय तक अपीलाण्ट के कब्जा काश्त की भूमि चक 3 आरटीपी द्वितीय के खाता सं0 81/76 प. नं. 184/195 के किला नं. 14, 15 यानि 2 बीघा में किसी प्रकार की दखलअंदाजी न करें व न करवाऐं। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख निर्णय की प्रमाणित प्रति सहित भिजवाया जावे। पत्रावली निर्णित शुमार व नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

8. निर्णय आज दिनांक 11.X.22 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे ईजलास सुनाया गया ।

राजस्व अपील अधिकारी हनुमानगढ़ (रा.)

11/X/22

(करतार सिंह पूनियाँ)
राजस्व अपील अधिकारी
हनुमानगढ

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़